न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)

आर.ए.एस

प्रकरण सं.:– 42/2022

1. श्रीमति भंवरकंवर पुत्री श्री विजय सिंह जाति चारण
2. श्रीमति सुमन कंवर पुत्री श्री विजय सिंह जाति चारण
3. श्री चावण्ड सिंह पुत्र श्री विजय सिंह जाति चारण
   निवासीगण लामगरा तहसील देवलियांकलां जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. विकास दत्तक पुत्र श्री कालुराम जरिये संरक्षक जाईन्दा माता अनोखी देवी जाति बलाई निवासी लामगरा तहसील देवलियांकलां जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री दौलत सिंह राठौड अधिवक्ता वादी
श्री महावीर मेघवंशी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
पैराकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम

आदेशः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 17.01.2023

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा लामगरा पटवार हल्का लामगरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय के खसरा नं. 782 रकबा 03–04–00, 781 रकबा 04–01–00, 781 रकबा 02–17–00, 205 रकबा 00–08–00, 781 रकबा 00–01–00, 783 रकबा 05–08–00, 905 रकबा 03–13–10 भूमि को लेकर वादीयागण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त भूमि वादीयागण की आराजीयात में गत राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम सुधार कर वादियागण के हक–हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर मेघवंशी ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बिना किसी आधार एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया हैं। वादियागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र जिसकी प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 781, 782, 783, 205, 209 से प्रतिवादी का किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीयागण ने जानबूझकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी सं. 3 व उसके अन्य रिश्तेदार के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण दर्ज करवा रखा है, जिससे बचने के लिये सरासर झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पत्र बिना वाद हेतुक प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने बताया कि प्रतिवादी सं. 1 अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं. 771, 768, 769, 1641/767, 769/1903 पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। वादीगण द्वारा अंकित प्रश्नगत आराजी से प्रतिवादी सं. 1 का कोई सरोकार नहीं है एवं न ही कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है केवल मात्र प्रतिवादी सं. 1 को

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

नाजायज रूप से हैरान–परेशान करने के लिये उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नही

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाकर वाद पत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना का लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत न करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर सीधे बहस करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में बहस उभयपक्षान नियत की गई। प्रतिवादी सं.1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने समर्थन में प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणों को दोहराकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किए जाने का पुरजोर निवेदन किया।

वादिया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दौराने बहस कथन किए कि वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजस्व नक्शें में सुधार हेतु प्रस्तुत किया है जिसका वादीयागण को पूर्णतया अधिकार है। प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं प्रार्थना पत्र में कोई सरोकार नहीं होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 को कोई हित/अहित निहित नहीं होना स्पष्ट है। वादीयागण द्वारा वांछित आनुतोष के संबंध में समस्त निर्णय माननीय न्यायालय को वाद पत्र के संबंध में पैरोकार सरकार के प्रत्युत्तर के आधार पर किए जाने है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जबकि प्रतिवादी सं.1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रश्नगत आराजीयात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र वाद प्रक्रिया के निस्तारण में अनावश्यक बिलम्ब हेतु प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतया अनुचित है एंव काननून चलने योग्य ना होकर खारिज होने योग्य है। अतः प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का अनुरोध किया।

पक्षकारान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण पर उपलब्ध तथ्य रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की पुष्टि होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से कोई संबंध नहीं होना स्वीकार किया गया है ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि प्रकरण का पूर्ण निस्तारिण संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त साक्ष्य–सबूती दस्तावेजात के आधार पर ही किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता हैं। वादीया द्वारा स्वयं के वाद पत्र की पुष्टि हेतु प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित हैं ऐसी स्थिति में दस्तावेजात की सत्यता को प्रथम दृष्टया नकारा जाना संभव नहीं हैं। वादीयागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र का औचित्य है अथवा नहीं इसे तय किया जाना वाद पत्र पर कायम की गई तनकीयात के विधिपूर्वक निस्तारण पर ही नियत किया जाना न्यायोचित होगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आनुतोष योग्य न होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार दर्ज होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील होकर मूल वाद में दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
पिसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
पिसांगन (अजमेर)